राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र०
पी. सी. एफ. भवन, 32-स्टेशन रोड, लखनऊ
दूरभाष : 0522-2630130 (कार्यालय)
फैक्स : 0522-2630115, 2630134
वेबसाइट : http://sec.up.nic.in
ईमेल : secup@up.nic.in,
: secup32@gmail.com

State Election Commission, U.P.
P.C.F. Building, 32-Station Road, Lucknow.
Phone : 0522-2630130 (O)
Fax : 0522-2630115, 2630134
Website : http://sec.up.nic.in
E-mail : secup@up.nic.in,
: secup32@gmail.com

संख्या 2211/रा0नि0आ0अनु0–3/पं0नि0/34–16 लखनऊ: दिनांक : **14 सितम्बर, 2016**

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश शासन के पंचायतीराज विभाग की अधिसूचना संख्या–2275/33–3–2016–255/2002टीसी दिनांक 29.08.2016 के क्रम में भारत के संविधान के अनुच्छेद–243ट सपठित संयुक्त प्रान्त पंचायतराज अधिनियम, 1947 की धारा 12खख के अन्तर्गत प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए मैं, एस0के0 अग्रवाल, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, एतदद्वारा उ0प्र0 के जनपदों में **ग्राम पंचायतों के प्रधानों तथा सदस्यों** के वैधानिक रूप से रिक्त स्थानों/पदों जो मा0 न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित न हों, पर उप निर्वाचन निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय सारिणी के अनुसार कराए जाने का निर्देश देता हूँ :–

नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का अन्तिम दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा का दिनांक व समय	उम्मीदवारी वापस लेने का दिनांक व समय	प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
21 सितम्बर, 2016 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक)	**22 सितम्बर, 2016** (पूर्वाह्न 10:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	**23 सितम्बर, 2016** (पूर्वाह्न 10:00 से अपराह्न 03:00 बजे तक)	**23 सितम्बर, 2016** (अपराह्न 03:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	**30 सितम्बर, 2016** (पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक)	**04 अक्टूबर, 2016** (पूर्वाह्न 8:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

2. सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) अपने जिले की सार्वजनिक सूचना **15 सितम्बर, 2016** को निर्गत करेंगे तथा उसकी प्रति सरकारी गजट में प्रकाशन के लिए भेजेंगे और उसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को तत्काल भेजेंगे। ग्राम पंचायतों के प्रधानों एवं सदस्यों के रिक्त स्थानों/पदों पर निर्वाचन हेतु रिक्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण विवरण देते हुए निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा **16 सितम्बर, 2016** को सार्वजनिक सूचना निर्गत की जाएगी। इस निर्वाचन कार्यक्रम को प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए व्यापक प्रचार कराया जाएगा और सम्बन्धित गाँवों में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जाएगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना पट्ट पर यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया जाएगा। उक्त उप निर्वाचन उत्तर प्रदेश पंचायतराज (सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 के अनुसार सम्पन्न होगा।

3. प्रधान व सदस्य ग्राम पंचायतों के नामांकन पत्र दाखिल करने, इनकी जॉच करने व उम्मीदवारी वापस लेने, चुनाव चिह्न आवंटन तथा मतगणना का कार्य सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर होगा। परिणाम की घोषणा भी सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर की जाएगी।

4. उपर्युक्त समय सारिणी के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे और निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

(एस0के0 अग्रवाल)
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

संख्या :-2211 (1)/रा0नि0आ0अनु0-3/पं0नि0/34-16, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. प्रमुख सचिव, नियुक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. निजी सचिव, मा0 मंत्री, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
9. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश।
10. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
11. अपर पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था), उत्तर प्रदेश।
12. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त पुलिस महानिरीक्षक, जोन, उत्तर प्रदेश।
14. समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
15. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित करा दें तथा आकाशवाणी एवं दूरदर्शन केन्द्रों को प्रसारण हेतु भेज दें।
16. निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।
17. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय), उत्तर प्रदेश।
18. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

19. समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी/प्रभारी अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय), उत्तर प्रदेश।
20. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तर प्रदेश।
21. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
22. समस्त सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय), उत्तर प्रदेश।
23. निदेशक, दूरदर्शन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया अपने संचार माध्यमों द्वारा इसे प्रसारित करा दें।
24. निदेशक, आकाशवाणी केन्द्र, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया अपने संचार माध्यमों द्वारा इसे प्रसारित करा दें।
25. समाचार सम्पादक, आकाशवाणी, गोरखपुर केन्द्र, गोरखपुर।
26. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना को **दिनांक 14 सितम्बर, 2016** के असाधारण गजट में तत्काल मुद्रित कराकर इसकी दस प्रतियाँ आयोग के उपयोगार्थ/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें। कृपया यह ध्यान रहे कि यह अधिसूचना विधायी परिशिष्ट में नहीं छपेगी।
27. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
28. सूचना पट्ट, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश।
29. गार्ड फाइल, अनुभाग–3, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

14/09/2016

(जय प्रकाश सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।